भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 858
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएम फ़ॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना

858. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंगग एंटरप्राइजेज योजना तथा इसके बजटीय प्रावधान सहित विभिन्न घटकों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के विभिन्न घटकों के तहत अब तक स्वीकृत ऋणों की संख्या तथा अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पंजीकृत सूक्ष्म खाद्य इकाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के "वोकल फॉर लोकल'' के लक्ष्य को हासिल करने तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में सफल प्रतिस्पर्धा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रस्तावित कार्य-योजना क्या है; और

(ङ) क्या भौगोलिक या लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करने वाले दूरस्थ क्षेत्रों के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए सामान्य अवसंरचना संसाधनों के सुलभ, किफायती और वास्तविक रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लक्षित कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रचालन में है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और इस क्षेत्र के औपचारिकरण को बढ़ावा देना है। पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहित योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को 4306.04 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा रुपये जारी किए गए हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया हैं।

(ख): दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक देश भर में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 1,62,744 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत स्वीकृत वर्षवार और राज्यवार ऋणों का विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सूक्ष्म खाद्य

प्रसंस्करण इकाइयों सहित पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या 42,801 है। राज्यवार विवरण **अनुबंध- IV** में दिया गया हैं।

(घ): पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और विपणन घटक के तहत, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर एक साझा ब्रांड विकसित करने के लिए एफपीओ, सहकारी समितियों, एसएचजी और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के राज्य या क्षेत्रीय एसपीवी के समूहों को योग्य परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। यह घटक पैकेजिंग और ब्रांडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण और उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा पालन जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। सरकार का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर, पहुंच को सरल बनाकर और पैकेजिंग, लेबलिंग और सामान्य ओडीओपी ब्रांडिंग के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके ब्रांडिंग और विपणन घटक को मजबूत करना है। यह खुदरा, ई-कॉमर्स और निर्यात एजेंसियों के साथ टाई-अप की सुविधा प्रदान कर रहा है, सामान्य सुविधाओं में सुधार कर रहा है, और लक्षित अभियानों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, सूक्ष्म इकाइयों को मजबूत बाजार पहचान बनाने और राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना रहा है। इन उपायों का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उत्पाद की दृश्यता बढ़ाने, वोकल फॉर लोकल लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना है।

(ङ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं इसके संघों/सहकारी समितियों/सरकारी एजेंसियों को 3 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से समान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) के सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सीएफसी की पर्याप्त क्षमता अन्य इकाइयों और जनता द्वारा हायरिंग बेसिस पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। पीएमएफएमई योजना के तहत सामान्य अवसंरचना सुविधाएं सबसे छोटे और सबसे दूरदराज के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए भी सुलभ और सस्ती हैं। इनमें पहाड़ी, जनजातीय और आकांक्षी जिलों में सीएफ. सी. की स्थापना, हब-एंड-स्पोक को अपनाना, उपयोगकर्ता शुल्कों पर सब्सिडी देना और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स (डीआरपी) के माध्यम से ग्राम-स्तरीय जुटान को सक्षम बनाना शामिल है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए "पीएम फोरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजन के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार हैं:

(i). व्यक्तिगत / समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यम को सहायता: पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो प्रत्येक इकाई के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए है;

(ii). प्रारम्भिक पूंजी के लिए एसएचजी को सहायता: खाद्य प्रसंस्करण में लगे एसएचजी के हर सदस्य के लिए कार्यशील पूंजी और छोटे टूल्स खरीदने के लिए प्रारम्भिक पूंजी 40,000/- रुपए की दर से, जो प्रत्येक एसएचजी फ़ेडरेशन के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए है।

(iii). सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना सृजन में सहायता करने के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपए होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम लोगों के लिए भी क्षमता के पर्याप्त हिस्से के लिए हायरिंग बेसिस पर इस्तेमाल करने हेतु उपलब्ध होगी।

(iv). ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट: एफपीओ/ एसएचजी/ सहकारिताओं के समूह या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक अनुदान।

(v). क्षमता निर्माण: इस योजना में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (ईडीपी) के लिए प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है, जिसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए मॉडिफाइड किया गया है।

अनुबंध-II

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए "पीएम फोरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.10.2025 तक जारी केंद्रीय हिस्से के फंड का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र.स,.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय हिस्सा (करोड़ रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार आइलैंड	4.47
2	आंध्र प्रदेश	185.83
3	अरुणाचल प्रदेश	36.62
4	असम	198.16
5	बिहार	364.39
6	चंडीगढ़	2.21
7	छत्तीसगढ़	45.04
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.43
9	दिल्ली	7.71
10	गोवा	14.94
11	गुजरात	61.08
12	हरियाणा	73.93
13	हिमाचल प्रदेश	112.70
14	जम्मू और कश्मीर	46.55
15	झारखंड	59.22
16	कर्नाटक	272.77
17	केरल	167.10
18	लद्दाख	7.06
19	लक्षद्वीप	1.01
20	मध्य प्रदेश	263.53
21	महाराष्ट्र	646.25
22	मणिपुर	16.23
23	मेघालय	24.37
24	मिजोरम	20.67
25	नागालैंड	30.67
26	ओडिशा	140.58
27	पुडुचेरी	9.45
28	पंजाब	199.88
29	राजस्थान	83.22
30	सिक्किम	26.79
31	तमिलनाडु	362.19
32	तेलंगाना	202.75
33	त्रिपुरा	28.49
34	उत्तर प्रदेश	510.98
35	उत्तराखंड	43.97
36	पश्चिम बंगाल	33.78
	कुल	**4,306.04**

अनुबंध-III

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए "पीएम फोरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक पीएंमएफएमई योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र और वर्ष-वार स्वीकृत ऋण

क्र. स.	राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	स्वीकृत ऋणों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार आइलैंड	6	4	8	0	0	18
2	आंध्र प्रदेश	306	2808	2237	1667	1069	8087
3	अरुणाचल प्रदेश	1	21	28	48	38	136
4	असम	39	659	633	1769	1500	4600
5	बिहार	91	2923	10284	10273	4152	27723
6	चंडीगढ़	5			0	0	5
7	छत्तीसगढ़	24	211	350	396	299	1280
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	2	5	0	5	12
9	दिल्ली	21	81	103	74	84	363
10	गोवा	2	42	23	36	34	137
11	गुजरात	5	103	286	314	302	1010
12	हरियाणा	74	329	606	352	272	1633
13	हिमाचल प्रदेश	156	603	550	496	732	2537
14	जम्मू एवं कश्मीर	35	170	480	682	571	1938
15	झारखंड	0	198	1527	1851	674	4250
16	कर्नाटक	259	1823	2011	2329	1302	7724
17	केरल	59	807	2573	3116	1382	7937
18	लद्दाख	6	26	33	17	8	90
	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	237	1426	2692	5103	2486	11944
20	महाराष्ट्र	636	6040	9493	7546	2457	26172
21	मणिपुर	180	67	13	31	17	308
22	मेघालय	5	26	44	120	32	227
23	मिजोरम	0	7	13	20	16	56
24	नागालैंड	0	25	155	188	61	429
25	ओडिशा	149	620	627	731	605	2732
26	पुडुचेरी	1	58	54	51	28	192
27	पंजाब	134	837	1183	525	342	3021
28	राजस्थान	98	192	242	513	306	1351
29	सिक्किम	2	31	20	8	4	65
30	तमिलनाडु	288	3717	7666	3587	1952	17210
31	तेलंगाना	163	2067	3500	1136	400	7266
32	त्रिपुरा	7	43	63	77	58	248
33	उत्तर प्रदेश	212	2304	6654	7449	3956	20575
34	उत्तराखंड	17	222	416	221	161	1037
35	पश्चिम बंगाल	0		22	149	260	431
	उप योग	**3218**	**28492**	**54594**	**50875**	**25565**	**162744**

अनुबंध -IV

दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए "पीएम फोरमलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज़ स्कीम" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 858 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का राज्य-वार विवरण

क्र.स.	**राज्य**	**इकाइयों की संख्या (एएसआई के अनुसार*)**
1	अंडमान और निकोबार आइलैंड	6
2	आंध्र प्रदेश	5427
3	अरुणाचल प्रदेश	51
4	असम	1750
5	बिहार	953
6	चंडीगढ़	19
7	छत्तीसगढ़	2225
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	33
9	दिल्ली	151
10	गोवा	96
11	गुजरात	2585
12	हरियाणा	1008
13	हिमाचल प्रदेश	162
14	जम्मू और कश्मीर	184
15	झारखंड	266
16	कर्नाटक	2405
17	केरल	1725
18	लद्दाख	8
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	1096
21	महाराष्ट्र	2820
22	मणिपुर	38
23	मेघालय	30
24	मिजोरम	29
25	नागालैंड	17
26	ओडिशा	1356
27	पुडुचेरी	68
28	पंजाब	3457
29	राजस्थान	980
30	सिक्किम	18
31	तमिलनाडु	4996
32	तेलंगाना	3702
33	त्रिपुरा	131
34	उत्तर प्रदेश	2407
35	उत्तराखंड	374
36	पश्चिम बंगाल	2230
	कुल	**42803**

स्रोत: *वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022-23,